

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

14 JAN 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (Validation Course) कार्यक्रम।

राजभाषा विभाग के दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के पत्र संख्या-14034/27/2014-रा0भा0 (प्रशि) द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा वर्तमान में संचालित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के दीर्घकालिक, अल्पकालिक (गहन) और पत्राचार माध्यम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (Validation Course) कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। तदनुसार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. प्रशिक्षण का स्वरूप

- 1) ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/ उपक्रमों आदि की मांग पर (यदि कोई हो तो) 'आउटरीच' माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जहां मांगकर्ता कार्यालय यह कार्यक्रम अपने कार्यालय परिसर में चलाने के इच्छुक हों। यदि वहां प्रशिक्षण संबंधी उपयुक्त संसाधन, जैसे—कंप्यूटर (कम से कम 10), प्रिंटर, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग नेट आदि, उपलब्ध होंगे तो सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा उन कार्यालयों में जा कर 'आउटरीच माध्यम' से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।
- 2) इन अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 5 पूर्ण कार्यदिवस होगी।
- 3) इस अवधि में प्रशिक्षार्थियों को पैरा-2 में दी गई पाठ्यचर्या के अनुसार पढ़ाया जाएगा। शेष अभ्यास प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर करना होगा और सीधे परीक्षा में बैठना होगा। जो कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (Validation Course) कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही प्रशिक्षित माना जाएगा।
- 4) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या को संबंधित सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के आंकड़ों में सम्मिलित किया जाएगा।
- 5) प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षार्थियों से अनुलग्नक 'क' के अनुसार फीडबैक फार्म भरवाए जाएंगे।
- 6) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लेवल-6, ईस्ट ब्लॉक-7, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 नोडल अधिकारी होंगे। पूरे देश में क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन एवं समन्वय की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।
- 7) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (Validation Course) कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को 'हिंदी शब्द संसाधन' पाठ्यपुस्तक निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

जारी.....2/-

